झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 5408/2023

आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है, पंजीकृत कार्यालय अशोक सिनेमा के सामने, रांची रोड, मरार, डाकघर+थाना - रामगढ़, जिला - रामगढ़, पिन - 829117 (झारखंड); और कार्यस्थल ग्राम - बुढ़ाखाप, डाकघर-करमा, थाना - रामगढ़ जिला - रामगढ़, पिन- 829122 (झारखंड), प्रतिनिधि निदेशक कामेंद्र मिश्रा, उम्र लगभग 61 वर्ष, पिता स्वर्गीय नरसिंह मिश्रा, निवासी - फ्लैट नंबर 2 बी, बंधु एन्क्लेव, चिरौंदी, रांची, डाकघर+थाना - मोरहाबादी, जिला- रांची, पिन 834008, (झारखंड)। .... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य, प्रतिनिधि आयुक्त, राज्य कर विभाग कार्यालय कमिश्नरी भवन, उत्पाद भवन, कांके रोड, डाकघर - रांची विश्वविद्यालय, थाना - गोंडा, जिला - रांची, पिन 834008
2. उपायुक्त राज्य कर, रामगढ अंचल, रामगढ, डाकघर+थाना - रामगढ़, जिला - रामगढ़ (झारखंड) .... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय,
माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुमीत गाड़ोडिया, अधिवक्ता,
श्रीमती शिल्पी संडील गाड़ोडिया, अधिवक्ता,
श्री रंजीत कुशवाह, अधिवक्ता

प्रतिवादी - राज्य की ओर से: श्री आदित्य कुमार पांडे, जे.सी. टू सीनियर एस.सी.-I

सी.ए.वी. दिनांक 01.12.2023 **घोषित 11.12.2023**

जजमेंट

न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा: पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करते हुए तत्काल रिट आवेदन दायर किया है:-

I. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 दिनांक 27.09.2019 **(अनुलग्नक-2/1)** में निहित "कारण बताओ नोटिस के सारांश" को रद्द करने/अलग रखने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि, कारण बताओ नोटिस का उक्त सारांश उचित कारण बताओ नोटिस के तत्वों को पूरा नहीं करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

II. प्रतिवादी संख्या 2 **(अनुलग्नक-5)** द्वारा कथित रूप से पारित वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित संपूर्ण आदेश पत्र में निहित दिनांक 02.09.2020 के अधिनिर्णय आदेश को रद्द करने/अलग रखने के लिए आगे उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाने के कथित आधार पर याचिकाकर्ता पर कर, ब्याज और जुर्माने की देयता तय की गई है।

III. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 2018-19 की अवधि से संबंधित जारी फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 04.09.2020 **(अनुलग्नक-6)** में निहित "आदेश के सारांश" को रद्द करने/अलग रखने के लिए आगे उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत तरीके से लाभ उठाने के कथित आधार पर कर, ब्याज और जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

IV. झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे संक्षेप में **'जे.जी.एस.टी अधिनियम'** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 73 के तहत कथित शक्ति के प्रयोग में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 02.09.2020 **(अनुलग्नक-5)** के कथित न्यायनिर्णयन आदेश सहित आगे उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जैसा कि याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी डीआरसी 07 दिनांक 04.09.2020 **(अनुलग्नक-6)** के माध्यम से सूचित किया गया है, पूरी तरह से अवैध और मनमाना है जो जे.जी.एस.टी अधिनियम, 2017 की धारा 73 और धारा 75 के तहत निहित प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए और याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून में द्वेष के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

3. रिट आवेदन में वर्णित मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता स्पंज आयरन और एम.एस. बिलेट के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2007 के तहत विधिवत पंजीकृत है। 2018-19 की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी एएसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जीएसटीआर-2ए की तुलना में जीएसटीआर-3बी

में उसके द्वारा दाखिल रिटर्न में कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया गया था।

4. जीएसटी एएसएमटी-10 जारी होने के बाद, याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 में निहित संदर्भ संख्या 7518 दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का सारांश जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने झारखण्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'जेजीएसटी अधिनियम') की धारा 73(1) के तहत शक्ति का कथित प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि याचिकाकर्ता पर कर, ब्याज और जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

5. यद्यपि याचिकाकर्ता को उक्त नोटिस के अनुपालन की कोई तिथि नहीं बताई गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने 22.10.2019 को स्वयं ही कारण बताओ नोटिस के उपरोक्त सारांश पर अपना उत्तर दाखिल कर दिया।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही और/या सुनवाई नहीं की गई और इस बीच, कोविड-19 वायरस के व्यापक प्रसार के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता को न्यायनिर्णयन आदेश और/या आदेश के सारांश के बारे में कोई संचार नहीं किया गया और सितंबर, 2023 के महीने में पहली बार याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 में निहित दिनांक 04.09.2020 के आदेश का सारांश बताया गया, जिसे याचिकाकर्ता के जीएसटीएन वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया था और याचिकाकर्ता पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का कथित गलत लाभ उठाने के लिए कर, ब्याज और जुर्माना लगाया गया था।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फॉर्म जीएसटी डीडीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस के सारांश की प्रमाणित प्रति के साथ-साथ संपूर्ण ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया। इसके बाद, फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 में ऑर्डर के सारांश की प्रमाणित प्रति और ऑर्डर-शीट याचिकाकर्ता को प्रदान की गई। उपरोक्त प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री रंजीत कुशवाह की सहायता से श्री सुमीत गाड़ोडिया ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर विवादित आदेश को चुनौती दी:-

I. जेजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) के साथ जेजीएसटी नियम, 2017 के नियम 142(1) के अनुसार याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त मुद्दा इस न्यायालय के दिनांक 06.10.2021 के रिट याचिका.(टी) संख्या 2444/2021 (मेसर्स एनकेएएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

II. सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई थी जैसा कि आदेश-पत्र से स्पष्ट होगा, और, आदेश-पत्र में, यह दर्ज किया गया है कि 27.09.2019 को जीएसटी डीआरसी-01 में नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद याचिकाकर्ता ने 22.10.2019 को उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल किया और उसके बाद लगभग 11 (ग्यारह) महीने बीत जाने के बाद, 02.09.2020 को सुनवाई की कोई तारीख तय किए बिना। आदेश-पत्र में दर्ज किया गया है कि कर, ब्याज और जुर्माने की देयता के लिए जीएसटी डीआरसी-07 जारी किया जा रहा है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेखों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और उक्त मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय के दिनांक 18.04.2022 के आदेश द्वारा रिट याचिका.(टी) संख्या 3908/2020 के साथ डब्ल्यू.पी.(टी) संख्या 3909/2020 (मेसर्स गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

III. यहां तक कि न्यायाधिकरण द्वारा कोई न्यायनिर्णयन आदेश भी पारित नहीं किया गया है और केवल फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 में मांग का सारांश याचिकाकर्ता को जारी किया गया है, जो एनकेएएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अपने फैसले में निर्धारित कानून के पूरी तरह विपरीत है।

7. इसके विपरीत, वरिष्ठ स्थायी वकील संख्या 1 के सहायक वकील ने तर्क दिया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास अपील का वैकल्पिक प्रभावी उपाय है जिसे वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर कर सकता है और इसलिए, रिट आवेदन स्वीकार्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जीएसटी डीआरसी-01 जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को फॉर्म एएसएमटी-10 में सूचना जारी की गई थी और उसके बाद ही याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस का सारांश जारी किया गया था। हालांकि, काउंटर हलफनामे के पैरा-14 का हवाला देते हुए यह उचित रूप से स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को केवल कारण बताओ नोटिस का सारांश जारी किया गया है।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और हमारी राय में, यह आवेदन मेसर्स एन.के.ए.एस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) और मेसर्स गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड (सुप्रा) के मामलों में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। बेशक, इस मामले में केवल 'कारण बताओ नोटिस का सारांश' जारी किया गया है और याचिकाकर्ता को कोई उचित कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने मेसर्स एनकेएएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इसी तरह के मामले पर विचार करते हुए, निम्नलिखित माना है:-

> "**17.** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आरोपित नोटिस अधिनियम की धारा 74 के तहत उचित कारण बताओ नोटिस के तत्वों को पूरा करने में पूरी तरह से कमी करता है। अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही से पहले उचित कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। जेजीएसटी नियम, 2017 के नियम 142(1) (यहां आरोपित अनुलग्नक-2) के अनुसार फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का सारांश उचित कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। हालांकि, यह अदालत इस मुद्दे में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है कि फॉर्म जीएसटी एएसएमटी-10 जारी करने की आवश्यकता तत्काल मामले को तय करने के उद्देश्य से जेजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 को लागू करने के लिए एक शर्त है या नहीं। यह न्यायालय पाता है कि अनुलग्नक-2 के अवलोकन पर, जो कि याचिकाकर्ता को जारी किया गया वैधानिक प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01 है, यद्यपि यह उल्लेख किया गया है कि जीएसटीआर-3बी और 2ए के बीच बेमेल है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि धारा 74 के तहत नोटिस जारी करने का आधारभूत आरोप पूरी तरह से गायब है और नोटिस अस्पष्ट बना हुआ है।
>
> **18.** चूंकि हमारा यह विचार है कि अनुलग्नक-1 में निहित कारण बताओ नोटिस उचित कारण बताओ नोटिस के तत्वों को पूरा नहीं करता है और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, इसलिए इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के तहत चुनौती स्वीकार की जा सकती है। तदनुसार, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित नोटिस और अनुलग्नक-2 में फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस का सारांश रद्द किया जाता है। हालांकि, चूंकि इस न्यायालय ने चुनौती के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उसी चरण से नई कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

19. इस रिट याचिका को ऊपर बताए गए तरीके और सीमा तक स्वीकार किया जाता है।"

9. इस मामले में, ऑर्डर-शीट के अवलोकन से यह पता चलता है कि फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस का सारांश 27.09.2019 को याचिकाकर्ता को जारी किया गया था और, हालांकि अनुपालन की कोई तारीख नहीं दी गई थी, याचिकाकर्ता ने स्वप्रेरणा से 22.10.2019 को अपना जवाब दायर किया। इसके बाद, मामले में सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई और सीधे, 02.09.2020 के ऑर्डर-शीट के माध्यम से, यह दर्ज किया गया है कि फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 में मांग का सारांश याचिकाकर्ता को जारी किया जा रहा है।

इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता पर आरोपित मांग उठाए जाने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। यह मुद्दा मेसर्स गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले द्वारा भी स्पष्ट रूप से कवर किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने जेजीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) और 75(5) की व्याख्या करते हुए पैरा 21 और 22 के अनुसार निम्नानुसार माना है:-

"**21.** इस स्तर पर, हम सीजीएसटी/जेजीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) और 75(5) के प्रावधानों को उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

"**75.** कर निर्धारण से संबंधित सामान्य प्रावधान
(4) जहां कर या दंड के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है, अथवा जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय अपेक्षित होता है, वहां सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
(5) यदि कर के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो उचित अधिकारी उक्त व्यक्ति को समय प्रदान करेगा तथा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सुनवाई स्थगित करेगा:

बशर्ते कि कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक के लिए ऐसा स्थगन नहीं दिया जाएगा।

22. धारा 75(4) और 75(5) के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से निम्न बातें सामने आएंगी:-

i. अनुरोध करने पर 'सुनवाई का अवसर' प्रदान किया जाएगा।

ii. जहां कोई प्रतिकूल निर्णय अपेक्षित हो, वहां सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

iii. यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो उचित अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सुनवाई स्थगित कर सकता है।

iv. हालाँकि, कार्यवाही के दौरान तीन बार से अधिक ऐसा स्थगन नहीं दिया जाएगा।

10. इस न्यायालय के उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, हमारे पास प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी फॉर्म जीएसआर डीआरसी-01 दिनांक 27.09.2019 (अनुलग्नक 2/1) में निहित कारण बताओ नोटिस के सारांश को रद्द करने और अलग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित ऑर्डर-शीट में निहित दिनांक 02.09.2020 के न्यायनिर्णयन आदेश को अलग रखा जाता है और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 04.09.2020 में जारी आदेश का सारांश भी। हालांकि, प्रतिवादी कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

11. परिणामस्वरूप, रिट आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है। यदि कोई लंबित आई.ए. है, तो उसका भी निपटारा किया जाता है। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

(न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय)

(न्यायमूर्ति दीपक रोशन)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 11 दिसंबर, 2023
अमरदीप/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।